



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक/254/अकादमी/संबद्धता/16
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/5/16

PRINCIPAL/DIRECTOR
ANAND INSTITUTE OF MANAGEMENT,
PLOT NO.: 561/1, 561/2/1, 561/2/2,
STREET/ROAD: NEELBAD, VILL.: BARKHEDA NATHU,
P.O.: BARKHEDA NATHU, TEH./TAL.: HUZUR,
TOWN/CITY: BHOPAL, DIST.: BHOPAL - 462044 (MP)

विषय:- सत्र 2016-17 में अस्थाई संबद्धता सत्र 2016-17.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 167178 दिनांक: 02-05-2016
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 24-05-2016 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. एम0एड0 50 छात्र संख्या (एक यूनिट)

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2017-18 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2016 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

पृ0क्रमांक/255/अकादमी/संबद्धता/16
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, ब.उ.वि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी
भोपाल, दिनांक 30/5/16

सहा.-कुलसचिव, अकादमी

विश्वविद्यालय परिनियम 27 व 28 तथा अन्य निर्देशों एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन ना होना पाये जाने पर अस्थाई संबद्धता / निरन्तरता स्वतः निरस्त मानी जायेगी